न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2018

जीसीएमएस नम्बर : 2018/00424

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1. तुलसाराम पुत्र उम्मेदराम 2. अणची बेवा उम्मेदरांम 3. भेराराम पुत्र उम्मेदराभ 4. सुरेश पुत्र उम्मेदराम 5. अशोक पुत्र उम्मेदराम जातिगण देवासी निवासीगण बिठौड़ा खुर्द, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. सरपंच, ग्राम पंचायत चवाड़िया, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली 2. शंकरलाल पुत्र हरीराम, जाति देवासी, निवासी बिठौड़ा खुर्द, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री किशोर सिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक : 30/12/2024

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चवाड़िया द्वारा मिसल संख्या 28/2014—15, संकल्प संख्या 01 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी शंकरलाल पुत्र हरिराम देवासी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 51 दिनांक 26.09.2014 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण का ग्राम बिठौड़ा खुर्द में पुश्तैनी कब्जासुदा मकान स्थित है, जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में सरदारराम पुत्र पदमाराम देवासी का मकान स्थित है, जिसका पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश करने पर प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि हमारे परिसर पर अप्रार्थी संख्या 2 को विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 15.04.2014 को आवेदन पेश किया जबकि दिनांक 26.02.2014 को प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। आदेशिका में मौका निरीक्षण करने एवं वार्ड पंच का नाम अंकित ही नहीं है। दिनांक 05.03.2014 को राजस्थान पत्रिका में नोटिस प्रकाशन का उल्लेख है जबकि पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और न ही आज्ञासूची में कोई हस्ताक्षर है, प्रकरण में गवाह दूसरे गांव के है तथा एक गवाह श्रवणसिंह ने कहा कि मैने

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

कोई बयान नहीं दिया है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना की है। प्रार्थी का जैर आराजी का कोई पट्टा नहीं है जबकि उक्त आराजी पर अप्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा है। साथ ही प्रकरण में आपत्ति नोटिस भी राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन करवाया है, जिससे भी स्पष्ट है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमानुसार पट्टा बनाया है। प्रार्थी ने उक्त पट्टे में अपना 10 फीट हिस्सा होना बताया है परन्तु उनका पट्टा कहां है यह नहीं बताया। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के कब्जेसुदा आराजी का पट्टा जारी किया जो विधिनुसार होने से जैर निगरानी याचिका खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चवाड़िया द्वारा मिसल संख्या 28/2014–15, संकल्प संख्या 01 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी शंकरलाल पुत्र हरिराम देवासी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 51 दिनांक 26.09.2014 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 26.02.2014, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें प्रार्थना पत्र दर्ज करने एवं मौका निरीक्षण फीस जमा होना अंकित किया परन्तु अप्रार्थी द्वारा पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2014 को पेश किया गया तथा आदेशिका में न तो फीस शुल्क की रसीद संख्या अंकित है और न ही दिनांक का अंकन है। साथ ही आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि अगर अप्रार्थी द्वारा पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2014 को पेश किया है तो जैर निगरानी पट्टे की मिसल उससे पहले दिनांक 26.02.2014 को कैसे दर्ज हो सकती है ?

इसके अतिरिक्त आदेशिका दिनांक 05.03.2014, के द्वारा प्रश्नगत आराजी का नक्शा बनाने एवं स्थल निरीक्षण के आदेश दिये गये। स्थल निरीक्षण प्रपत्र में भी केवल दो वार्डपंच के हस्ताक्षर है साथ ही जैर आदेशिका के अवलोकन से भी प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वार्ड पंच तुलसी का नाम पश्चातवर्ती अंकित है। हस्तगत प्रकरण में आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति इश्तिहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति प्ररिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में दिनांक 05.03.2014 को जारी आपत्ति इश्तिहार पर न तो पंचायत की मोहर लगी हुई है, न ही डिस्पेच नम्बर अंकित है और न ही उक्त नोटिस का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में रिपोर्ट अथवा किसी गवाह के हस्ताक्षर अंकित है। साथ ही पत्रावली का अमल करने पर यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि जब ग्राम पंचायत ने आदेशिका दिनांक 05.06.2014 के द्वारा हस्तगत प्रकरण में आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया तो प्रश्नगत आराजी का आपत्ति इश्तिहार दिनांक 05.03.2014 को कैसे जारी हो सकता है ?

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड में बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि बैठक दिनांक 25.09.2014 में अप्रार्थी का नाम बाद में अंकित किया गया है तथा हस्तगत प्रकरण में जिस आदेशिका के द्वारा गवाहों के बयान कलमबद्ध किये गये, उसकी दिनांक ही अंकित नहीं है। साथ ही उसी आदेशिका में गवाहान के नाम पश्चातवर्ती अंकित किया जाना प्रतीत होते है। इसके अतिरिक्त दोनों गवाहान के बयान साईक्लेस्टाईल में दर्ज है तथा दोनों बयानात में जैर आराजी पर अप्रार्थी का 35 वर्षों का कब्जा सुदा मकान अंकित है एवं इसी तथ्य के आधार पर ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया। राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार – (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल – (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीखे से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 100/– (ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 200/– पर जारी किये जाने के प्रावधान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इसलिये हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चवाड़िया द्वारा मिसल संख्या 28/2014–15, संकल्प संख्या 01 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 51 दिनांक 26.09.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)